

मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त तथा मौलिक कर्तव्य

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित संविधान का तृतीय भाग भारतीय जनता की अनिर्घार्य स्वतन्त्रताओं का अधिकारपुत्र माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि राज्य द्वारा उन पर आचल्यपूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं तथा राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति उनके विधानव्ययन को स्थगित कर सकता है।

मौलिक अधिकार : अर्थ व उनकी आवश्यकता
देश के उच्च कानूनों द्वारा संरक्षित हित के रूप में मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के उन उपबन्धों से मान्यता पाते हैं जिनके अन्तर्गत हमारे पुजातांत्रिक राज्य में सीमित पुलिस शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। देश के मूल कानूनों में मौलिक अधिकारों का पवित्र स्थान है तथा यह राज्य के अनुचित हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध भी लगती है।

मौलिक अधिकारों के प्रकार

संविधान के इस भाग में प्रचलित मौलिक अधिकारों के राजनीतिक चरित्र के साथ ही राजनीतिक नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

- (i) **समानता का अधिकार** - 14 → समानता का अधिकार लोकतन्त्र का आधार स्तम्भ है।
- (ii) राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या अपनी सीमाक्षेत्र में कानून के समान खरसण वंचित नहीं करेगा।
- (iii) सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे।
- (iv) सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए आवश्यकताओं और किलों को नष्ट से इसके पुनर्स्थापन का निर्णय किया गया है।